

14.11.22

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली उपरोक्त प्रकरण से सम्बंधित मूल अपील का निर्णय ले चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। कतः प्रार्थना पत्र बाबत लयजान्त त्वारीज किया जाता है। पत्रावली के लिये शुभार शेरट नंबर से कम शेरट दाखिल दफ्तर है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

